



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(शहरी जमानदी के आधार पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रयोगिता ने उसके समूह आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि का एकल पालन प्रयोग किया)

⁹ (राजस्थान के भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अनुसार तात्प्रति आवृद्धि में स्वयंप्रकाश होती है।)

राजस्थान
RAJ. JAIPUR-V

यह इकरारनामा राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जेन आवास योजना 2015 के प्रोविजन-3ए के अन्तर्गत आज दिनांक 26-2-16 2016 को इस इकरारनामे के तहत आवंटित/विकल्प-पत्र संख्या 5। सन् को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसके पश्चात् सरकार कह कर संबोधित किया गया है।

मैसर्स जनक नन्दनी इन्फा स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड जमति नं १२३४ न्युयर्क
निवासी सुजिस्टहॉर्ड ऑफिस नम्बर 201, पर्ल प्रीमीयर, 4, जमना लाल बजाज
मार्ग, हॉटल राज महल पैलेस के सामने, सी-स्कीम, जयपुर जिनके स्वामित्व की ग्राम
सालिगरामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा संख्या 423 की कुल 28000 वर्गमीटर, भूमि है (जिनको
कि इसके पश्चात पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ की कहीं
प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह
भी सम्मिलित होंगे) के दीच लिखा गया है। (इसमें उल्लेखित शर्तों के करारों, जो पट्टेदारं द्वारा
निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एकमात्र सरकार द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह
तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर संबोधित किया गया है) का नियमन और पुनः
आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है—

- इस पट्टा विलेख द्वारा पट्टेदार के पक्ष में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत कमज़ोर तथा अल्प आय वर्ग हेतु आवासीय फ्लैट बनाने के लिए कुल भूखण्ड में से आवासीय पार्ट-ए क्षेत्रफल 7733.39 वर्ग मीटर तथा आवासीय पार्ट-बी क्षेत्रफल 14787.11 वर्ग मीटर का आवंटन/नियमन किया जाता है।
 - इस पट्टा विलेख में वर्णित कुल भूमि भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी (3) के तहत समर्पण के पश्चात् प्राधिकरण के हक में दर्ज होने के उपरान्त मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रोविजन-3ए में निर्धारित शर्तों के तहत कमज़ोर तथा अल्प आय वर्ग हेतु परियोजना वा स्वामित्व पट्टेदार का होगा।
 - यह कि निजी खातेदार योजना जिसकी सीमाओं एवं क्षेत्रफल का विवरण संलग्न साईट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, सरक्षणों, प्रतिबन्धों वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार उपयोग उपभोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा।

सख राजेस्ट्रार, जयपुर
पंचम

4. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
5. इस भूखण्ड के पट्टेदार उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 1 पर वर्णित क्षेत्रफल पर स्थानिक प्रयोजनार्थ निर्धारित नियमन/आवंटन दर के आधार पर कुल राशि शब्दों में रूपये देय होती है, जिसकी स्थिति प्रतिशत छूट मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत दी गई है। किन्तु उक्त 'भूमि पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी' देय होगी, जो कि उस क्षेत्र की आवासीय नियमन/आवंटन दर की चार गुण राशि को आरक्षित दर मानते हुए इसका 2.5 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल पर प्रति वर्गगज प्रतिवर्ष देय है (यथा लागू) शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय-समय पर बढ़ोतरी की जायेगी परन्तु नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी प्रबंधित आदेशों के तहत ओठ वर्षीय शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा करने पर भविष्य में शहरी जमाबन्दी देय नहीं होगी। उपरोक्तानुसार लीज राशि चालान नं. 470398 दिनांक 18.02.2016 से जारी है। **साप्त २१।१२।३५**
6. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन को या उन दोनों के किसी ऐसे आशय के लिए जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो तदर्थ नियुक्त किया गया हो, राजरथान नगर सुधार (नगरीय निष्पादन) नियम 1974 के अंतर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।
7. योजना का आंतरिक विकास का उत्तादायित्व पट्टेदार का होगा।
8. भूखण्ड की लीजडीड का अपने व्यय पर 30 दिवस में नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
9. निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से कमजौर तथा अल्प आय वर्ग भवन के मानचित्र को मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 तथा भवन विनियम 2010 में निर्धारित मापदण्डों के तहत स्वीकृत करवाया जाना होगा।
10. भवन निर्माण का कार्य मुख्यमंत्री जन आवासन योजना-2015 एवं तत्पश्चात् इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश/संशोधन के प्रावधानों के तहत करना होगा।
11. विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त भूखण्ड पर निर्मित कमजौर तथा अल्प आय वर्ग की आवासीय निकायों का आवंटन विज्ञाप्ति जारी कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 द्वारा निर्धारित आय के मानदण्ड पूर्ण करने वाले वर्ग को किया जा सकेंगा। विकासकर्ता द्वारा सफल आवंटियों की सूची प्राधिकरण को संबंधित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।
12. पट्टेदार के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह पट्टा जारी किया जा रहा है। अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय जिम्मेदार नहीं होगा।

(M) 26/2/16
उपायुक्त
जान-14A
लाप्पा रिहाया प्रियदर्शन
काम्पर

4. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर (लीज होल्ड) पर पुनः अधिकार किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
5. इस भूखण्ड के पट्टेदार उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 1 पर वर्णित क्षेत्रफल पर अक्षिप्रयोजनार्थ निर्धारित नियमन/आवंटन दर के आधार पर कुल राशि रुपये देय होती है, जिसकी शैत प्रतिशत छूट मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत दी गई है। किन्तु उम्मत 'भूमि पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी, जो कि उस क्षेत्र की आवासीय नियमन/आवंटन दर को चार गुणा राशि को आरक्षित दर मानते हुए इसका 2.5 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल पर प्रति वर्गगज प्रतिवर्ष देय है (यथा लागू) शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की भूमि पर बढ़ोतारी की जायेगी परन्तु नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी प्रचलित आदशों के तहत ओठ वर्षीय शहरी जमाबन्दी एवं मुश्त जमा करने पर भविष्य में शहरी जिल्हाबन्दी देय नहीं होगी। उपरोक्तानुसार लीज राशि चालान नं. 470398 दिनांक 18.02.2016 से जमा है। **राशि २११३५**
6. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन की, या उन दोनों के लिए ऐसे आशय के लिए जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो तदर्थ नियुक्त किया गया हो, राजस्थान नगर सुधार (नगरीय निष्पादन) नियम 1974 के अंतर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।
7. योजना का आंतरिक विकास का उत्तादायित्व पट्टेदार वा होगा।
8. भूखण्ड की लीजडीड का अपने व्यय पर 30 दिवस में नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
9. निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से कमजोर तथा अल्प आय वर्ग भवन के मानचित्र को मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 तथा भवन विनियम 2010 में निर्धारित मापदण्डों के तहत स्वीकृत करवाया जाना होगा।
10. भवन निर्माण का कार्य मुख्यमंत्री जन आवासन योजना-2015 एवं तत्पश्चात् इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश/संशोधन के प्रावधानों के तहत करना होगा।
11. विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त भूखण्ड पर निर्मित कमजोर तथा अल्प आय वर्ग की आवासीय निकायों का आवंटन विज्ञप्ति जारी कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 द्वारा निर्धारित आय के मानदण्ड पूर्ण करने वाले वर्ग को किया जा सकेंगा। विकासकर्ता द्वारा सफल आवंटियों की सूची प्राधिकरण को संबंधित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।
12. पट्टेदार के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह पट्टा जारी किया जा रहा है। अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय जिम्मेदार नहीं होगा।

२६/११६
 उपायुक्त
 जान - १४
 अधिकारी प्रधिकरण
 जग्गार

13. पट्टेदार द्वारा सम्बन्धित नियमों, उपनियमों, नगरीय भूमि निरस्तारण नियम 1974, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015, उपविभाजन एवं पुर्णगठन नियम 1975, भवन विनियम 2010, उपनियमों, राज्य सरकार/प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के सागर-समय पर जारी होने वाले निर्देशों, निर्णयों की अनुपलब्धता की जावेगी।
14. पट्टेदार को राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं तत्पश्चात् समयद्वारा समय विभिन्न परिपत्रों/आदेशों/दिशा निर्देशों के तहत जारी संशाधन, प्राविधानों एवं शर्तों की मालिना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार अगर उन्हें कोई राशि बनती है तो आवंटी द्वारा प्राधिकरण को नियमानुसार अदा करनी होगी।
16. यह पट्टा पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जारी किया जाता है, भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि पट्टेदार द्वारा तथ्यों को छुपा कर या फर्जी दस्तावेज के आधार पर आवंटन पत्र जारी करवाया गया है तो यह आवंटन पत्र एवं इसके परिपेक्ष्य में जारी किया गया पट्टा विलेख स्वतः निरस्त माना जावेगा।
17. पट्टेदार कमजोर एवं अल्प आय वर्ग हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत निर्मित किये जाने वाले आवासों हेतु बैंक, विकासकर्ता, लाभार्थी एवं प्राधिकरण के मध्य निष्पादित होने वाली “एस्को एग्रीमेन्ट” को हस्ताक्षरित करने हेतु बाध्य होगा।
18. पट्टेदार मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत कमजोर तथा अल्प आय वर्ग हेतु निर्मित किये जाने वाले आवासों को समयबद्ध कार्यक्रम में गुणवता हेतु निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण करवायेगा। यदि समयबद्धसीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो पट्टेदार पर निर्धारित शास्ति भी लगाई जा सकेंगी। यदि पट्टेदार को शास्ति उपरान्त उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त समयसीमा में भी कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा शेष कार्य पूरा करवाया जावेगा तथा पट्टेदार को देय समस्त परिलाभों को निरस्त किया जा सकेंगा। (इस संबंध में आवंटी से 100/- रुपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अण्डरटेकिंग पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा)
19. उपरोक्त शर्तों अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन/लीजडीड स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
20. पट्टेदार द्वारा भूखण्ड पर निर्मित किये जाने वाले समस्त आवासों पर अगर किसी भी प्रकार का सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई टैक्स देय होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।
21. भूखण्ड की लीजडीड एवं पंजीयन पर आने वाली समस्त लागत एवं व्यय प्रभार पट्टेदार द्वारा नियमानुसार देय होंगे।

(६)

मख रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचायत

उपायुक्त
जोन -14A
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

26/4/16

नोट :- इस एकल पट्टा खसरा नम्बर 423, ग्राम सालिगरामपुरा तहसील सांगानेर की पंजीकृत मूल्य राशि रु. होती है। अतएव स्टाम्प नं. रूपये संख्या बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और द्वाराखों पर अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से



आज सन् 2016 माह फरवरी के वें दिन सक्षम अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-14ए, जयपुर

श्री भवर सिंह शर्मा

Mr. 26/2/16.

उपायुक्त
भस्त्रम् अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर

एवं

पट्टेदार कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर,
(शहर का नाम) में निम्न साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।



Vipul Gilara
पट्टेदार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम :- KANSHAL KISHORE SHARMA

पिता/पति का नाम :- SHIVRAJ SHARMA

व्यवसाय :- BUSINESS

निवास स्थान :- A-87 VIDHYA NAGAR
JAGATPUR

साक्षी के हस्ताक्षर

Kanshal Singh

साक्षी के हस्ताक्षर

Daneet

2. नाम :- PUNEET SHARMA

पिता/पति का नाम :- RAMESHWAR
PRASAD SHARMA


व्यवसाय :- BUSINESS

निवास स्थान :- A-29, BAIRANG colony
JAGATPUR JAIPUR

SITE PLAN OF RESIDENTIAL SINGLE PATTAA UNDER PROVISION
3A OF CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJNA 2015 ON KHASRA
NO 423, VILLAGE SALIGRAMALPURA, TEH. SANGANER, JAIPUR

RESIDENTIAL PLOT PART A	7733.39 SQ. MT.
RESIDENTIAL PLOT PART B	14787.11 SQ. MT.
NET PLOT AREA	22525.50 SQ. MT.
LAND SURPENDED IN ROAD AREA	5474.50 SQ. MT.
TOTAL AREA	28000.00 SQ. MT.

F.R. HEIGHT	MAXIMUM 2.25 AS PER BYE LAWS
GROUND COVERAGE	UP TO 50%
SIDE AND REAR SETBACK	MIN. 3 MT. UPTO THE HT OF 15 MT. AND MIN. 6 MT FOR HEIGHT ABOVE 15 MT.



SITE ENGINEER
ZONE -14A

DTP/ATP
ZONE -14A

DY.COMMISSIONER
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR
ZONE -14A

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR